

सं. 2/1/2026-पब्लिक
भारत सरकार
गृह मंत्रालय

कर्तव्य भवन-3, नई दिल्ली
दिनांक: 22 जनवरी, 2026

सेवा में,

सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के मुख्य सचिव/प्रशासक

विषय:- भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की याद में 30 जनवरी (शहीद दिवस) को मौन धारण करना।

महोदय/महोदया,

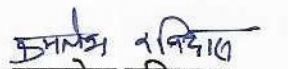
मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की याद में प्रति वर्ष 30 जनवरी को पूरे देश में पूर्वाह्न 11.00 बजे दो मिनट का मौन रखा जाता है।

2. इस दिवस को मनाने के संबंध में निम्नलिखित स्थाई अनुदेश निर्धारित किए गए हैं :

- (i) 30 जनवरी को पूर्वाह्न 11.00 बजे पूरे देश में मौन रखा जाना चाहिए और काम तथा गतिविधियों को रोक दिया जाना चाहिए।
- (ii) जहां कहीं संभव हो, दो मिनट के मौन की अवधि शुरू होने तथा समाप्त होने की सूचना सायरन बजाकर या आर्मी गन से दी जानी चाहिए। सायरन 10.59 बजे से 11.00 बजे तक बजाए जाने चाहिए और दो मिनट के बाद 11.02 बजे से 11.03 बजे तक पुनः क्लियर सायरन बजाए जाने चाहिए। जहां सायरन उपलब्ध हो वहां यह कार्यविधि अपनाई जाए।
- (iii) सिगनल (जहां उपलब्ध हो), सुनकर सभी व्यक्ति खड़े हो जाएं और मौन धारण करें।
- (iv) जिन स्थानों पर सिगनल की कोई व्यवस्था न हो, वहां पूर्वाह्न 11.00 बजे दो मिनट का मौन रखने के लिए सभी संबंधितों को उपयुक्त अनुदेश दिए जा सकते हैं।

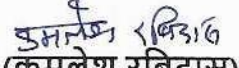
3. विगत में यह देखा गया है कि यद्यपि कुछ कार्यालयों में दो मिनट का मौन रखा जाता है, परंतु आम जनता इस अवसर की गंभीरता पर ध्यान दिए बिना सामान्य रूप से अपने काम में लगी रहती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से अनुरोध है कि शहीद दिवस को पूरी गम्भीरता के साथ मनाया जाए। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें, तदनुसार, शहीद दिवस को मनाने के संबंध में अपने नियंत्रणाधीन सभी शैक्षिक संस्थाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अनुदेश जारी कर सकती हैं। स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय एकता के बारे में वार्ताएं / भाषण हाइब्रिड मोड में भी आयोजित किए जाएं।

भवदीय,


(कमलेश रविदास)

अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 011-24010294

प्रतिलिपि, सभी राज्यों के राज्यपालों/उप-राज्यपालों के सचिवों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासकों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

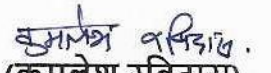

(कमलेश रविदास)

अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 011-24010294

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित :-

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. राष्ट्रपति सचिवालय
3. उपराष्ट्रपति का सचिवालय
4. प्रधान मंत्री कार्यालय
5. रजिस्ट्रार, भारत का उच्चतम न्यायालय
6. रजिस्ट्रार, दिल्ली उच्च न्यायालय
7. मंत्रिमंडल सचिवालय
8. राज्य सभा सचिवालय
9. लोक सभा सचिवालय
10. नीति आयोग
11. भारत का निर्वाचन आयोग
12. संघ लोक सेवा आयोग
13. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय
14. केंद्रीय सतर्कता आयोग
15. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
16. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
17. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
18. विधि आयोग
19. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग
20. राष्ट्रीय महिला आयोग
21. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
22. प्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक
23. दिल्ली/नई दिल्ली में स्थित गृह मंत्रालय के सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय
24. प्रशसन-III अनुभाग, गृह मंत्रालय
25. प्रधान सूचना अधिकारी, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001
26. एडीजी (मीडिया), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक.

1 अतिरिक्त प्रतियां


(कमलेश रविदास)

अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 011-24010294